




**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन  
प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)**  
dfo\_ramnagar@rediffmail.com दूरभाष / फैक्स नं 0 05947-251362



पत्रांक :-

112-1

दिनांक, रामनगर

20.12.2023

सेवा में,

वन संरक्षक,  
पर्शियाँ घृत्त,  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय :-

जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालादूंगी राजि के बौर वन ब्लॉक अन्तर्गत कालादूंगी नहर के लिए बौर नदी परर डाईवर्जन हेतु 0.35 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्या हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(Online Proposal NO- FP/UK/IRRIG/155063/2022)

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 8B/UCP/09/78/2022/FC/1312 दिनांक 30.12.2022 एवं अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल का पत्रांक 2415/सिंख0नै०/अनु०/राजस्व(वन भूमि) दिनांक 08.12.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा लगाई गयी 11 बिन्दुओं कि आपत्तियों का निराकरण कर अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है:-

क्र०सं०	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1.	Diversion area required is mentioned as 0.35 ha in the proposal. However, on DSS analysis it is found out to be 0.14 ha. The User Agency may clarify the discrepancy.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्य स्थल पर योजना के अनुसार वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकतानुसार ही माप लेकर क्षेत्रफल की गणना अनुसार 0.35 है० वन भूमि की आवश्यकता है जो कि ले-आउट प्लान में दर्शाया गया है। K.M.L File अपलोड कर दी गयी है।
2.	State govt is requested to submit the plantation scheme of 700 plants over 0.7 ha area for which details of area proposed for plantation be also furnished.	वृक्षारोपण योजना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-1)
3.	Shape and location of Canal is depicted in the digital map of diversion area but not shown in KML file.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि कालादूंगी नहर का आकार एवं नहर की स्थिति दर्शाते हुए KML फाइल पुनः अपलोड कर दी गयी है एवं नहर के आकार हेतु ड्राइंग संलग्न है। (संलग्न-2)
4.	The layout of the diversion head is not shown with all components and details like canal head regulator fish ladder,	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि बिटिश काल से कालादूंगी नहर पर कच्चा बन्धा (वायर

	<p>under sluice, weir or barrage, details of river training work, like guide bank and marginal bunds, silt excluder bridges etc. The complete details of above components are to be mentioned in the layout plan and shown in the KML file.</p>	<p>केट में बोल्डर भर कर या (Coolie Walling) बनाकर कालादूंगी नहर पर पानी की आपूर्ति की जाती रही है यह डाइवर्जन कार्य केवल कच्चे बन्धे को पक्के कार्य में परिवर्तित किया जाना है। क्योंकि कच्चा बन्धा नदी का डिस्चार्ज बढ़ने से हर मानसून में बह जाता है जिरासे क्षेत्र के काश्तकारों को बार-बार सिंचाई हेतु कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जिससे हर वर्ष इसको बनाने और इस पर आने वाले खर्च से बचा जा सकेगा। यह योजना के केवल कालादूंगी नहर पर पानी को डाइवर्ट करने हेतु है। यह वियर या बैराज नहीं है। अत फीस लैडर, अन्डर सल्प्यूस, मारजिनल बधा आदि की इस योजना में कोई आवश्यकता नहीं है जैसा कि पूर्व में कच्चा बन्धा बनाया जाता रहा है उसी को सी०री० ब्लॉक द्वारा पक्का निर्माण है और बैंड बार का प्राविधान है जो कि नदी तल से नीचे होगे। केवल डाइवर्जन हैड के दोनों तरफ गाइड वॉल व नहर में पानी हेतु हैड रेगुलेटर का प्राविधान किया गया है, जिसकी जी०बी०पन्त विश्वविद्यालय से Vetted Drawing संलग्न है। (संलग्न-3)</p>
5.	The canal Discharge capacity has not been mentioned by the State Govt.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है की कालादूंगी नहर का अधिकतम डिस्चार्ज 2.10 क्यूमेक या 74 क्यूसेक है।
6.	The location of 'Kaladhungi Nahar' is not shown in the KML file. State Govt. is requested to mark the location of Kaladhungi Nahar in the KML file.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है की कालादूंगी नहर दर्शाते हुए KML फाईल पुनः अपलोड कर दी गयी है।
7.	In the field B.2.3 of Part-II the village wise breakup of land is not provided. All the villages are mentioned together in the same cell and cumulative area is provided. State Govt is requested to review the same.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है की इस योजना से ग्राम पंचायत विदरामपुर रतनपुर, देवलचौड़, कालादूंगी बंदोबस्ती, पूरनपुर, गुलजारपुर बंकी के कृषक लाभान्वित होंगे और यह योजना उपरोक्त लिखित ग्राम पंचायतों हेतु संयुक्त रूप से कालादूंगी नहर से कृषकों की कृषि भूमि को सिंचित करने हेतु बनाई गयी है। और कालादूंगी नहर में पानी चलाने हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन हैड बनाया जाना है जिस हेतु 0.35 है० भूमि की आवश्यकता है। अतः यह भूमि सभी ग्राम पंचायतों हेतु सामुहिक है, अतः इस भूमि को संयुक्त रूप से प्रस्तावित किया गया है।
8.	In the field I (i) of Part I it is mentioned that the proposal does not form the part of protected area of Eco Sensitive Zone. Also, in field 8.2 (ii) & (iii) of Part-II it is mentioned that it is not a part of wildlife corridor Whereas, in the DSS analysis shows that the protected area is located in the Tiger Corridor or any other inviolate area. Hence, State Government is requested to clarity on this aspect with	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्न-4)

	depiction of the project area on the tiger corridor map. It should be clearly mentioned that whether the Tiger Corridor is connecting two Protected Areas/Tiger Reserves.	
9.	Detailed muck disposal scheme with the details of the muck likely to be generated and the utilization of the generated muck is required to be submitted.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्न-5)
10.	Density of the forest is mentioned as 0.4 in Part-II. However, it is also mentioned than no tree/seedling is likely to be affected by the proposal. The State Government is requested to look into this discrepancy.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव के Part II में अंकित की गयी Density Of Forest 0.4 नदी के चारों ओर स्थित वन क्षेत्र की Density है, जबकी प्रस्तावित कार्य नदी के जल मार्ग में होना है। जिसमें पेड़ इत्यादि नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वृक्ष नहीं है अतः कार्य के दौरान किसी भी पेड़ का कटान नहीं होगा।
11.	State Govt is requested to upload the all necessary documents in the field 13 (iii, iv and v) in Part-II.	चूंकि उक्त प्रकरण में मात्र 0.35 है 0 वन भूमि की मांग की गयी हैं अतः भाग-II बिन्दु संख्या 13 विषयांकित प्रकरण पर लागू नहीं होती है।

अतः आपत्ति का निराकरण 0% प्रतियो में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विषयांकित प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(दिग्नथ नायक)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक:- 1501 / 1271 दिनांकित

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्द्रिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अनियन्ता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दिग्नथ नायक)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

प्रेषक

अधिकारी अधिकारी  
सिवाई लण्ड नैनीताल  
प्रभागीय दबाविकारी  
रामनगर बन प्रभाग  
रामनगर(नैनीताल)

प्रेषित

मंत्रालय 24/सि०ख०न०/अनु०/राजस्व(बन भूमि) /

दिनांक १४ दिसम्बर, 2023

विषय— जलपद नैनीताल में रामनगर बन प्रभाग रामनगर के कालाढ़ी राजि के नीर बन ब्लाक अन्तर्गत कालाढ़ी नहर के लिए नीर नदी पर डाइर्चर्ज हेतु 0.35 हेक्टेक्टर भूमि का नैर वानिकी कार्यो हेतु सिवाई विभाग से प्रत्यावर्तन (on line no. FP/UK/IRRIG/155063/2022)

रादर्भ—भारत राजकार पर्यावरण बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून का पंचाल 8B/UCP/09/78/2022/FC/1312 दिनांक 30.12.2022।

महोदय,

सन्दर्भित पत्र के माध्यम से विषयाकृत प्रकरण पर आपत्ति लगायी गयी थी, जिनका प्रतिउत्तर पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या—72/सि०ख०न०/अनु०/राजस्व(बन भूमि) दिनांक 17.01.2023 द्वारा भेज दिया गया था पुनः विनु राख्या 8 में कम में भारत राजकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु आवेदित भूमि के टाईगर कारिडोर में स्थित होने के रावण में आख्या चाही गयी थी (आपके कार्यालय के पत्र संख्या—1972/12/रामनगर दिनांक 28.01.2023)। इसी कम में इस कार्यालय के पत्र संख्या—454/सि०ख०न०/अनु०/राजस्व(बन भूमि) दिनांक 16.03.2023 द्वारा निराकरण हेतु प्रस्तावित स्थल के राष्ट्रीय पार्क / बन्य जीव अभ्यारण / वाइल्ड लाइफ कोरिडोर से दूरी प्रमाण पत्र मुख्य बन संरक्षक, आईटी०सेल देहरादून से प्राप्त कर प्रेषित कर दी गयी थी। पुनः इसी कम में कार्यालय प्रमुख पत्र मुख्य बन संरक्षक(बन्य जीव/मुख्य बन्य जीव प्रतिपालक) उत्तराखण्ड देहरादून के द्वारा उनके पत्र संख्या 1435(A/12-1) देहरादून दिनांक 22.11.2323 द्वारा दी गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र सलग्न कर पुनः संशोधित आख्या / प्रतिउत्तर निम्नवत है।

क्र० सं०	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1.	Diversion area required is mentioned as 0.35ha in the proposal. However, on DSS analysis it is found out to be 0.14 ha. The User Agency may clarify the discrepancy.	कार्य स्थल पर योजना के अनुसार बन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता नुसार ही माप ले कर क्षेत्रफल की गणना अनुसार 0.35 हेक्टेक्टर भूमि की आवश्यकता है जो कि ले-आउट प्लान में दर्शाया गया है। K.M.L. file अपलोड कर दी गयी है।
2.	State govt. is requested to submit the plantation scheme of 700 plants over 0.7 ha area for which details of area proposed for plantation be also furnished.	प्रभागीय स्वर से कार्यवाही आपेक्षित है।
3.	Shape and location of canal is depicted in the digital map of diversion area but not shown in KML file.	कालाढ़ी नहर का आकार एवं नहर की स्थिति दर्शाति हुए KML फाइल पुनः अपलोड कर दी गई है एवं नहर के आकार हेतु ड्राइग संलग्न है।



The layout of the diversion head is not shown with all components and details like canal head regulator, fish ladder, under sluice, weir or barrage, details of river training work, like guide bank and marginal bunds, silt excluder, bridges etc. The complete detail of above components are to be mentioned in the layout plan and shown in the KML file.


विटेश काले पर कालादूँगी नहर पर कच्चा बन्धा (वायर केट में बाल्डर गर कर या (coolie walling) बनाकर कालादूँगी नहर पर पानी की आपूर्ति की जाती रही है यह डाइवर्जन कार्य केवल कच्चे बन्धे को पक्के कागे में परिवर्तित किया जाना है। क्योंकि कच्चा बन्धा नदी का डिस्चार्ज बढ़ने से हर मानसून में वह जाता है जिसने थोड़े के काश्ताकारी को वार-वार सिंचाई हेतु लाने और इस पर आगे चाले खारे से बचा जा सकेगा। यह योजना के केवल कालादूँगी नहर पर पानी को डाइवर्ट करने हेतु है, यह पिंगर या वैराज नहीं है। अतः फीस लौटर, अन्डर साल्यूस, मारजिनल बन्धा आदि की इस योजना में कोई आवश्यकता नहीं है जैसा कि पूर्व में कच्चा बन्धा बनाया जाता रहा है उसी को री०वी० ब्लॉक द्वारा पक्का निर्माण है और वैल वार का प्राप्तिगति जो कि नदी तल से नीचे होगे। केवल डाइवर्जन हेड के दोनों तरफ गाइड बॉल व नहर में पानी हेतु हैले रेमोल्टर का प्राप्तिगति किया गया है, जिसकी जी०वी०पतनगर विश्वविद्यालय से vetted drawing संलग्न है।

5	The canal discharge capacity has not been mentioned by the State Govt.	कालादूँगी नहर का अधिकतम डिस्चार्ज 2.10 क्यूमीक या 74 क्यूसॉक है।
6	The location of 'Kaladhungi nahar' is not shown in the KML file. State govt. is requested to mark the location of 'Kaladhungi nahar' in the KML file.	कालादूँगी नहर दर्शाते हुए KML फाइल पुनः अपलोड कर दी गई है।
7	In the field B-2.3 of part-I the village wise breakup of land is not provided .All the villages are mentioned together in the same cell and cumulative area is provided.State Govt. is requested to review the same.	इस योजना से ग्राम पचायत विदरामपुर, रतनपुर, देवलचौड़ कालादूँगी वंदोबरती, पूर्णपुर, गुलजारपुर वंकी के कृषक लाभान्वित होंगे और यह योजना उपरोक्त लिखित ग्राम पचायतों हेतु संयुक्त रूप से कालादूँगी नहर से कृषकों की कृषि भूमि को सिंचित करने हेतु बनाई गयी है। और कालादूँगी नहर में पानी चलाने हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन हेड बनाया जाना है जिस हेतु 0.35 हेठो भूमि की आवश्यकता है। अतः यह गूणि राणी ग्राम पंचायतों हेतु समुहिक है, अतः इस गूणि को संयुक्त रूप से प्रस्तावित किया गया है।
8	In the field I(i) of Part I it is mentioned that the proposal does not form the part of protected area of Eco Sensitive Zone .Also in field 8.2(ii)& (iii) of part-II it is mentioned that it is not a part of wildlife corridor. Whereas,in the DSS analysis shows that the protected area is located in the Tiger Corridor or any other inviolate area.Hence,State Government is requested to clarify on this aspect with depiction of the project area on the tiger corridor map.It should be clearly mentioned that whether the Tiger Corridor is connecting two Protected area/Tiger Reserves.	हवाई दूरी प्रमाण पत्र एवं प्रभुख वन संरक्षक (वन्य जीव/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक) उत्तराखण्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

	Detailed muck disposal scheme with the detail of muck likely to be generated and the utilization of the generated muck is required to be submitted.	प्रगति पत्र रालग्न है।
10.	Density of the forest is mentioned as 0.4 in part-II .However,IT it is also mentioned that no tree seeding is likely to be affected by the proposal.The State Government uis requested to look into this discrepancy.	जेरा कि density of forest part ii में 0.4 है। अबगत कराना है कि यह density नदी के बारो ओर स्थित घन क्षेत्र की है, जबकि कार्य नदी के जल मार्ग में होना है। जिसमें पेड़ इत्यादि नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वृक्ष नहीं है अतः कार्य के दौरान किसी भी पेड़ का कटान नहीं होगा।
11	State Govt. is required to upload the all necessary documents in the field 13(iii,iv and v)in part-II.	प्रभागीय रूप से कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। अतः प्रकरण में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

रालग्नक:- उपरोक्तानुसार



गवदीय  
अधिकारी अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड नैनीताल

### वृक्षारोपण प्राक्कलन

योजना का नाम:- जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग रामनगर अन्तर्गत कालाढ़ी रेंज के बौर वन ब्लॉक के अन्तर्गत कालाढ़ी नगर के लिए बौर नदी पर डाइवर्जन के निर्माण हेतु 0.35 है 0 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु सिचाई विभाग को हस्तानन्तरण हेतु वृक्षारोपण के अन्तर्गत 700 पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु प्राक्कलन।

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- नयागाँव बीट बौर ब्लॉक

क्षेत्रफल:- 0.70 है 0

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या:- 700

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	ईकाई दर (रु०)	योग	अनु०दर
1	2	3	4	5	6
प्रथम वर्ष					
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.70 है 0	115 / है 0	80.5	1-1
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.70 है 0	10272 / है 0	7190.40	1-2
3	गडडा खुदान ( $0.45 \times 0.45 \times 0.45$ )	0.70 है 0	12816 / है 0	8971.20	1-3
4	पौधों की सुरक्षा हेतु ऐंगिल आयरन से बने ट्री० गार्ड कय मय स्थापना	700 पौधों हेतु ट्री० गार्ड	1380 / ट्री० गार्ड	966000.00	बाजार माव
5	तार-बाड़ तार की किमत व पारिश्रमिक	0.70 है 0	9810 / है 0	6867.00	1-7
6	आर०सी०सी० पोल बनाना	0.70 है 0	14573 / है 0	10201.10	
7	आर०सी० खम्बो का दुलान एवं स्थापना	0.70 है 0	2948 / है 0	2063.60	
8	पौधों की कीमत	0.70 है 0	7836 / है Gst	5485.20	
9	अन्य व्यय	0.70 है 0	2282	1597.40	
10	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	0.70 है 0	10000 / है 0	7000.00	
प्रथम वर्ष का योग:-				1015456.4	

द्वितीय वर्ष					
1	गडडा भरान कार्य ( $0.45 \times 0.45 \times 0.45$ )	0.70 है 0	1567 / है 0	1096.90	
2	खाद क्रय कर गडडों में भरना	0.70 है 0	ल०स०	2000.00	
3	पौध का दुलान कार्य नर्सरी से वृक्षारोपण स्थल तक	0.70 है 0	4640 / है 0	3248.00	
4	पौधों का रोपण व स्थानीय दुलान	0.70 है 0	3652 / है 0	2556.40	
5	प्रथम निराई गडडाई-	0.70 है 0	3080 / है 0	2156.00	
	द्वितीय गुडाई	0.70 है 0	2310 / है 0	1617.00	
	तृतीय गुडाई	0.70 है 0	1444 / है 0	1010.80	
6	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव मरम्मत 8 माह	0.70 है 0	8400 / है 0	5880.00	
7	रोपण के बाहर 3 मी० पट० में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.70 है 0	225 / है 0	197.50	
	अन्य व्यय	0.70 है 0	2283 / है	1598.10	
द्वितीय वर्ष का योग:-				21360.7	

तृतीय वर्ष					
1	रोपण रक्षक का पारिश्रमिक 12 माह	0.70 है 0	12600 / है 0	8820.00	
2	निराई गुडाई	0.70 है 0	2310 / है 0	1617.00	
	मृत पौधों का प्रतिरक्षापन	0.70 है 0	3880 / है 0	2716.00	
3	पटटों की घास दबाने हेतु जुताई आदि कार्य	0.70 है 0	4382 / है 0	3067.40	
	तारबाड़ मरम्मत कार्य	0.70 है 0	320 / है 0	224.00	
5	रोपण के बाहर 3 मी० प० में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.70 है 0	246 / है 0	172.20	
	अन्य व्यय	0.70 है 0	183 / है 0	128.10	
तृतीय वर्ष का योग:-				16744.7	

चतुर्थ वर्ष					
1	रोपण रक्षक का पारिश्रमिक 12 माह	0.70 है 0	12600 / है 0	8820.00	
2	निराई गुडाई	0.70 है 0	2310 / है 0	1617.00	
3	पटटों की घास दबाने हेतु जुताई आदि कार्य	0.70 है 0	4382 / है 0	3067.40	
4	तारबाड़ मरम्मत कार्य	0.70 है 0	320 / है 0	224.00	
5	रोपण के बाहर 3 मी० प० में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.70 है 0	246 / है 0	172.20	
	अन्य व्यय	0.70 है 0	183 / है 0	128.10	
चतुर्थ वर्ष का योग:-				14028.7	
				योग:-	1067590.50

बी०एफ०

1067590.50

## पंचम वर्ष

1	रोपण रक्षक का पारिश्रमिक 12 माह	0.70 है०	12600 / है०	8820.00
2	निराई गुडाई	0.70 है०	2310 / है०	1617.00
3	पटटो की घास दबाने हेतु जुताई आदि कार्य	0.70 है०	4382 / है०	3067.40
4	रोपण के बाहर 3 मी० प० मे० फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.70 है०	246 / है०	172.20
	अन्य व्यय	0.70 है०	183 / है०	128.10
				13804.7

## पंचम वर्ष का योग:-

## षष्ठम् वर्ष

1	रोपण रक्षक का पारिश्रमिक 12 माह	0.70 है०	12600 / है०	8820.00
2	तार बाड़ के बाहर आग लाईन सफाई	0.70 है०	246 / है०	172.20
3	कल्चर आपैरेशन	0.70 है०	177 / है०	123.90
4	अन्य व्यय	0.70 है०	183 / है०	128.10

## षष्ठम् वर्ष का योग:-

## सप्तम् वर्ष

1	रोपण रक्षक का पारिश्रमिक 12 माह	0.70 है०	12600 / है०	8820.00
2	तार बाड़ के बाहर आग लाईन सफाई	0.70 है०	246 / है०	172.20
3	कल्चर आपैरेशन	0.70 है०	177 / है०	123.90
4	अन्य व्यय	0.70 है०	183 / है०	128.10

## सप्तम् वर्ष का योग:-

## अष्टम् वर्ष

1	रोपण रक्षक का पारिश्रमिक 12 माह	0.70 है०	12600 / है०	8820.00
2	तार बाड़ के बाहर आग लाईन सफाई	0.70 है०	246 / है०	172.20
3	अन्य व्यय	0.70 है०	183 / है०	128.10

## अष्टम् वर्ष का योग:-

## नवम् वर्ष

1	रोपण रक्षक का पारिश्रमिक 12 माह	0.70 है०	12600 / है०	8820.00
2	तार बाड़ के बाहर आग लाईन सफाई	0.70 है०	246 / है०	172.20
3	अन्य व्यय	0.70 है०	183 / है०	128.10

## नवम् वर्ष का योग:-

## दशम् वर्ष

1	रोपण रक्षक का पारिश्रमिक 12 माह	0.70 है०	12600 / है०	8820.00
2	तार बाड़ के बाहर आग लाईन सफाई	0.70 है०	246 / है०	172.20
3	अन्य व्यय	0.70 है०	183 / है०	128.10

## दशम् वर्ष का योग:-

## कुल व्यय प्रथम वर्ष से दस वर्षों का महायोग:-

1127244.50

या



1127000.00

(ग्याराह लाख सत्ताइस हजार रु० मात्र)

प्राक्कलन कर्ता

प्रभागीय वनाधिकारी  
रामनगर वन प्रभाग, रामनगरप्रभागीय वनाधिकारी  
रामनगर वन प्रभाग, रामनगरउप वन प्रभागीय वनाधिकारी फतेह  
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर  
फतेहपुर  
रा० बा० प्र० रामनगर(बी०एस०विष्ट)  
वन दरोगा  
वन क्षेत्राधिकारी  
कालांदूगी राजि  
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

(240-2)

**PROPOSED LINKING CANAL****EXISTING CANAL****IRRIGATION WORK CIRCLE HALDWANI****IRRIGATION DIVISION NAINITAL**

जनपद मैनीसाल के अन्तर्गत कालारुड़ी नहर हेतु बोर  
नदी पर शावधारण हेतु हेड की योजना


<i>SURVEYED &amp; DRAWN BY</i>	<i>RECOMMENDED BY</i>
<i>SUBMITTED BY</i>	<i>APPROVED BY</i>

NOTE - ALL DIMENSIONS IN METRES

( २०-३ )

## ले -आउट प्लान

योजना का नाम जनपद नैनीताल के अंतर्गत कालाढ़ूगी नहर हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु हैड की योजना




Hemal  
A.A.E

A. A. E.  
Assistant Engineer  
I.D.: IVth. Sub. Division  
Kashipur (Nainital)


J.K.  
भारतीय अधिकारी  
ठिकाई स.०४, नैनीताल

( ५० - ३ )

# DRAWING OF PROPOSED BED BARS IN BAUR RIVER AT KALADHUNGI CANAL HEAD



### CROSS-SECTION OF BED BAR



Vetted

6/10/2022

S. K. KATARIYA  
Associate Professor  
Department of Civil Engineering  
College of Technology  
G.B.P.U.A. & T. Pantnagar.

IRRIGATION WORK CIRCLE HALDWANI	
IRRIGATION DIVISION NAINITAL	
जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाहुड़ी नदी बेट और नदी पर डाइवर्जन हेतु हैड को प्रयोग।	
 SURVEYED & DRAWN BY	 REC'D BY NO. 140
 SUBMITTED BY	 APPROVED

NOTE - ALL DIMENSIONS IN METRE

### CROSS-SECTION OF GUIDE WALL

(४०-४)

उत्तराखण्ड वन्यजीव हेल्प लाइन नं० 18008909715

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

86 राजपुर रोड, देहरादून, पर्यावरण नं० 0136-2742884, ईमेल-cwlwua@yahoo.co.in

पत्रांक: १५३५/१२-१ देहरादून,

दिनांक २२ नवम्बर, २०२३

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

विषय:-

जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग के कालादूंगी राजि के बौर वन ब्लॉक के अन्तर्गत कालादूंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाईवर्जन हेतु 0.35 है० वन भूमि को गैर वानिकी कार्य हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/IRRIG/ 155063/2022)

संदर्भ:-

आपका पत्रांक-1178/ 12-1, दिनांक 04.11.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग के कालादूंगी राजि के बौर वन ब्लॉक के अन्तर्गत कालादूंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाईवर्जन कार्य हेतु पूर्व से निर्मित कच्चे हैड/बन्धा को पक्के डाइवर्जन हैड के रूप में परिवर्तित किये जाने हेतु आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

आपके द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति के आधार के अनुसार कालादूंगी नहर हेतु बौर नदी पर प्रस्तावित डाइवर्जन हैड की पवलगढ़ कंजरवेशन रिजर्व की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 7.4 किमी० है, कार्बेट टाइगर रिजर्व की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 22.4 किमी० एवं नैना देवी कंजरवेशन रिजर्व की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 11.8 किमी० है। आप द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि इस परियोजना के निर्माण से वनों एवं वन्यजीवों एवं उनके वास स्थल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

अतः आपके संदर्भित पत्र से प्रेषित संस्तुति/आख्या के आधार पर उक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर जनहित में सहमति निम्न शर्तों के साथ व्यक्त की जाती है:-

1. यह सुनिश्चित किया जाये कि कार्य के दौरान प्रस्तावक विभाग द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों का उल्लंघन न किया जाये।
2. वन वाहूल्य क्षेत्र होने के दृष्टिगत कार्य के दौरान कार्यरत श्रमिकों के द्वारा वन क्षेत्र में रथगन नहीं किया जायेगा, वन क्षेत्रों से इतर रथगन किया जाय।
3. सम्बन्धित ठेकेदार अथवा श्रमिकों के द्वारा वन क्षेत्रों से किसी भी प्रकार का पातन नहीं किया जायेगा तथा जलौनी लकड़ी का उपयोग वन क्षेत्र से नहीं किया जायेगा।
4. उक्त परियोजना का निर्माण कार्य नदी के प्रवाह को प्रभावित किये बिना किया जायेगा।

भवदीय,

24/१  
(डॉ समीर सिंह)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/  
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

 क्रमशः-२

-2-

पत्रांक 1435 / 12-। दिनांकित।

प्रतिलिपि - वन संरक्षक, पश्चिमी घृता, हल्द्वानी को उवतानुसार वृच्छार्थ एवं आवश्यक  
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22/8/1  
(डा० समीर सिन्हा)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) /  
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

प.

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण।  
वन मवन, 85/87, राजपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,  
सिंचाई खण्ड, नैनीताल।

विषय :- जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालादूंगी राजि के बौर वन व्लाक अन्तर्गत कालादूंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु हैड हेतु 0.35 है0 वन मूलि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 234 / सिठेंखोनी 0 / Head Diversion, दिनांक 03-02-2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालादूंगी राजि के बौर वन व्लाक अन्तर्गत कालादूंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन क्षेत्र की आपके द्वारा दी गई केएमएल फाइल के जीपीएस प्लाइंट से निकटतम हवाई दूरी निम्नवत आंकलित की गई है:-

क्र०सं0	प्रस्तावित परियोजना का नाम	केएमएल फाइल के जीपीएस प्लाइंट	वन्यजीव अभ्यारण्य/राष्ट्रीय पार्क/आरक्षित वन क्षेत्र	हवाई दूरी
1	कालादूंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन हैड 0.35 है0	79°20'9.0"E, 29°18'43.9"N	पावलगढ़ कंजवेशन रिजर्व की निकटतम सीमा से	7.4 किमी0
		79°20'9.0"E, 29°18'43.9"N	कार्बट टाइगर रिजर्व की निकटतम सीमा से	22.4 किमी0
		79°20'12.2"E, 29°18'43.7"N	नैना देवी कंजवेशन रिजर्व की निकटतम सीमा से	11.8 किमी0

उपरोक्तानुसार हवाई दूरी दी गयी केएमएल के अनुसार जी0आई0एस0 तकनीकी से 1:50000 स्केल पर आधारित डिजिटाइज्ड मानवित्र से सन्निकट आंकलित की गयी है। जिसमें  $\pm$  0.5 किमी0 का एरर सम्भव है।

मवदीय,

Signed by Manoj Chandran  
Date: 10-03-2023 13:59:21

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक— संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

1

( २१०-५ )

योजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढ़ूगी नहर हेतु बौर नदी पर  
डाइवर्जन हेतु हैड की योजना

निर्माण स्थल से उत्पादित मलवे को निस्तारित करने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य कराने के दौरान उत्पादित मलवे को निर्माण कार्य के नींव भरान एवं दोनों किनारे की गाइडवाल के पीछे भरान व किनारों पर बन्धा बनाने में प्रयुक्त कर निस्तारण किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का मलुवा वन्य भूमि या नदी, नालों में नहीं डाला जायेगा व मलुवे को कार्य स्थल से बाहर नहीं ले जायेगा।

प्रयोक्ता एजेन्सी

बैधिशासी ए भिष्मन्ता  
लिंचाई ख०५, नैनीताल